विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) दिल्ली के चीफ मैट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट ने अपने दिनांक 3.2.1999 के आदेश में इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र द्वारा फैलाए गए नदी प्रदूषण के संबंध में दिल्ली विद्युत बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कुछ निदेश दिए हैं। निःसरणों के प्रत्येक सप्ताह के नमूनों की जांच करते समय यह कहा कि यदि इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र द्वारा छोड़े जा रहे निःसरण विभिन्न मानदंडों की निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं तो न्यायालय संयंत्र को बंद किए जाने पर विचार कर सकता है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली विद्युत बोर्ड ने निःसरणों के प्रत्येक सप्ताह संयुक्त नमूने लेने के लिए अपने प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कुछ अल्पकालीन/दीर्घ-कालीन उपाय सुझाए हैं जिनमें निर्धारित सीमा को प्राप्त करने के लिए प्लावी (बहाव) (सुपरलेटेंट) में घुले हुए ठोस कणों को नीचे बैठने के समय को बढ़ाए जाना बेहतर राख कुंड प्रबंधन के लिए उड़न राख मिशन द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन करना, राख आधारित ईंटों के निर्माण के संयंत्र की स्थापना हेतु उद्यमियों को अभिज्ञात करना इत्यादि शामिल है। दिल्ली विद्युत बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि वह इन सुझावों की अनुपालना कर रहा है।

Non-referring of power projects to CEA

884. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Union Government has mooted any proposal to allow power corporates to develop their projects involving investment of Rs. 20,000 crore without referring them to the Central Electricity Authority (CEA) for its techno-economic viability, approval and clearance, as reported in the Hindustan Times, dated the 4th February, 1999;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether this proposal would open the flood gates to private power consultants on whom the States and Centre will have to reply for ascertainIng the viability of a power venture instead of CEA as at present?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) The Hindustan Times, Delhi edition, in its edition dated 14th Feb., 1999 (and not 4th Feb., 1999), has carried an article on this issue. The matter is under consideration in consultation with the concerned agencies of Government.

दिल्ली में विद्युत संकट

885. श्री बालकवि बैरागी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में चल रहे विद्युत संकट को दूर करने के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की योजनाओं पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) दिल्ली में विद्युत संकट को दूर करने के मार्ग में क्या-क्या बाधाएं हैं?

विद्युत मंत्री संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम): (क) और (ख) सभी तकनीकी और प्रशासनिक मामलों समेत विद्युत की आपूर्ति और वितरण करना संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य सरकार का कार्य है और जिम्मेवारी है और दिल्ली विद्युत बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के नियंत्रण में है।

विद्युत मंत्रालय की पहल पर दिल्ली सरकार/दिल्ली विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई थीं विद्युत मंत्रालय द्वारा वितरण प्रणाली के सुधार और पुनर्संरचना आदि के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भी उपलब्ध कराए गए हैं।

13-11-98 को सचिव (विद्युत) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/डीवीबी के अधिकारियों और अन्य के साथ ली गई बैठक में वर्ष 1999 के ग्रीष्मकाल के दौरान दिल्ली में विद्युत की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की समीक्षा की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/डीवीबी को अप्रैल, 1999 के अंत तक अपने विद्युत स्टेशनों को निवारक अनुरक्षण